संख्या:189/2026/1507/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांकः 30 सितम्बर, 2026

विषयः त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में शासनादेश संख्या-80/2026/553/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा 67 कार्यों की रू. 3617.97 की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 903.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1103/त्व0आ0वि0/स0मार्ग/2026-27 दिनांक 01.08.2026 के क्रम में उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2026 के क्रमांक-15 एवं 16 पर अंकित निम्नलिखित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	शासनादेश दिनांक 31.03.2026 का क्रमांक	अनुमोदित लागत	प्रभम किश्त में अवमुक्त धनराशि
1	वार्ड नं०-52 न्यू पंचवटी में बी, एंव सी ब्लॉक के मुख्य मार्ग का डेंस रोड एंव नाला, साइड इंटरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	15	83.56	21.00
2	वार्ड नं०-88 में गांधी नगर जी रोड पर शेर सिंह पैलेस से अरोड़ा बेकरी होते हुए गणेश बीकानेर स्वीट की दुकान तक, तथा अरोड़ा बेकरी टी-पॉइंट से वक्रतुंड फर्नीचर तक डेंस रोड एव नाली, साइड इंटरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य ।	16	92.70	23.00
		योग:	**176.26**	**44.00**

2- जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2026, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। निरस्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि को राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:189/2026/1507(1)/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजियाबाद।
14- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजियाबाद।
15- गार्ड फाईल।

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।